



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-जी.जे.-अ.-05092026-276000
CG-GJ-E-05092026-276000

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 528]	नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 1, 2026/ भाद्र 10, 1948
No. 528]	NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 1, 2026/ BHADRA 10, 1948

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण

अधिसूचना

गांधीनगर, 26 अगस्त, 2026

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (प्रीमियम का भुगतान और प्राप्ति का तरीका) (संशोधन) विनियम, 2026

आईएफएससीए/जीएन/2026/014.—अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 12 और 13 के साथ पठित धारा 28, और वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग की दिनांक

04 जुलाई, 2022 की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 3035(ड) के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114क की उप-धारा (2) के खंड (यकक) द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (प्रीमियम का भुगतान और प्राप्ति का तरीका) विनियम, 2022 (जिसे आगे 'मुख्य विनियम' कहा जाएगा) में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

- (1) इन विनियम को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (प्रीमियम का भुगतान और प्राप्ति का तरीका) (संशोधन) विनियम, 2026 कहा जाएगा।
- (2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. मुख्य विनियमों में, विनियम 3 के उप-विनियम (1) के खंड (च) को इस प्रकार प्रतिस्थापित जाएगा –
 “(च) ‘प्रीमियम’ का वही तात्पर्य होगा जो बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 2 की उप-धारा (13खग) के अंतर्गत इसे प्रदान किया गया है।

स्पष्टीकरण.— पुनर्बीमा कारोबार के प्रयोजनार्थ, प्रीमियम का तात्पर्य जोखिम को कवर करने के लिए पुनर्बीमा के अनुबंध के अंतर्गत भुगतान की गई या भुगतान की जाने वाली राशि से है;”

प्रदीप रामकृष्णन, कार्यकारी निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./297/2026-27]

नोट: अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (प्रीमियम का भुगतान और प्राप्ति का तरीका) विनियम, 2022 को 13 जनवरी 2023 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2022-23/जीएन/आईजी032 के अधीन प्रकाशित किया गया था।

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY

NOTIFICATION

Gandhinagar, the 26th August, 2026

International Financial Services Centres Authority (Manner of Payment and Receipt of Premium) (Amendment) Regulations, 2026

IFSCA/GN/2026/ 014.—In exercise of the powers conferred by Section 28 read with Sections 12 and 13 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019, and clause (zaa) of sub-section (2) of Section 114A of the Insurance Act, 1938, read with Ministry of Finance, Department of Financial Services, notification number S.O. 3035(E) dated 04th July, 2022, the International Financial Services Centres Authority hereby makes the following regulations, to further amend the International Financial Services Centres Authority (Manner of Payment and Receipt of Premium) Regulations, 2022 (hereinafter referred to as the ‘principal regulations’), namely: -

1. Short title and commencement.

- (1) These Regulations may be called the International Financial Services Centres Authority (Manner of Payment and Receipt of Premium) (Amendment) Regulations, 2026.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the principal regulations, the clause (f) of sub-regulation (1) of regulation 3 shall be substituted as under –

- “(f) ‘**premium**’ shall have the same meaning as assigned to it under sub-section (13BC) of section 2 of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938).

Explanation. – For the purposes of re-insurance business, premium refers to the consideration paid or payable under a contract of re-insurance to cover the risk;”

PRADEEP RAMAKRISHNAN, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./297/2026-27]

Note: The International Financial Services Centres Authority (Manner of Payment and Receipt of Premium) Regulations, 2022 were published in the Gazette of India on 13th January 2023 vide notification No. IFSCA/2022-23/GN/REG032.